न्यायालय ज़िला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–41/25

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि. तीसरी मंजिल, सुन्दर विला, वोडाफोन स्टोर के उपर, रेजिंडेसी रोड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मोहन राम.		• श्री यादे किराणा स्टोर खुडीयाला खुडीयाला बालेसर जिला जोधपुर • कुम्भा राम पुत्र भैरा राम खुडीयाला बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :– **आदेश दिनांकः–02-06-2025**

1–चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष कीं ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्री यादे किराणा स्टोर खुडीयाला व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 6,72,000/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **कुम्भा राम पुत्र भैरा राम** की जायदाद **सम्पति ख.न. 378 ग्राम खुडियाला, बालेसर, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1942 वर्ग मीटर, जिसके उत्तर में खसरा नं. 369, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में खसरा न. 378/9, पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज़ के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 10.10.2024 तक 3,88,222/– का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बंधक/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.0[illegible] 18:08:40 IST
Reason: Approved

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

RajKaj Ref No.: 15653859

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 6,72,000/—मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.10.2024 तक 3,88,222/— वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **कुम्मा राम पुत्र मैरा राम** की जायदाद **सम्पति ख.न. 378 ग्राम खुडियाला, बालेसर, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1942 वर्ग मीटर. जिसके उत्तर में खसरा नं. 369, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में खसरा न. 378/9 , पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 02-06-2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.0 8:08:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15653859